MINUTES OF 175th MEETING OF THE APPROVAL COMMITTEE FOR SEEPZ SEZ HELD UNDER THE CHAIRMANSHIP OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER ON 07-09-2026

Name of the SEZ	Arshiya-SEZ
Meeting No.	175th
Date	07-09-2026

Members Present:

Sr. No.	Name of the Members	Designation	Organization
1	Shri. Mayur Mankar	Joint Development Commissioner	SEEPZ-SEZ
2	Shri. Sunil Aghawane	Additional Commissioner, Income Tax	Nominee of Commissioner of Income Tax Office, Mumbai
3	Shri. Backiyavelu Mutharasu	Deputy Director, DGFT	Nominee of the Additional DFGT , Mumbai
4	Shri. Sandip D. Bhosale	Deputy development commissioner	SEEPZ-SEZ
5	Shri. Vivek Verma	Deputy Commissioner	Nominee of Commissioner of Customs, General, Air Cargo, Sahar
6	Shri. Digvijay Pol	Industries Officer	Nominee of DC Industries, Government of Maharashtra
7	Shri. Jay Manoj Shah	Specified Officer	SEEPZ SEZ

<u>कार्यसूची मद संख्या 01</u>: - दिनांक 20.07.2026 को आयोजित 174 वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि। दिनांक 20.07.2026 को आयोजित 174वीं बैठक के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।		**<u>Agenda Item No. 01:</u> Confirmation of the Minutes of the 174th Meeting held on 20-07-2026.** The Minutes of the 174th Meeting held on 20-07-2026 were confirmed with consensus
<u>कार्यसूची मद संख्या 02:</u> अर्शिया एफटीडब्ल्यूजे की 66 गैर-अनुपालन इकाइयों के बारे में आगे की कार्रवाई पर विचार करने का प्रस्ताव, जिनके अनुमोदन पत्र (एलओए) की अवधि समाप्त हो गई है और जिन्होंने अपने एलओए का नवीनीकरण या नियमितीकरण नहीं किया है या एसईजेड योजना से बाहर निकलने का विकल्प नहीं चुना है।		**<u>Agenda Item No. 02</u> : Proposal for consideration of further action in respect of 66 non-compliant units of Arshiya FTWZ, whose Letters of Approval (LoAs) have expired and who have not renewed/regularized their LoAs or sought exit from the SEZ Scheme.**
<u>निर्णय:</u> - समिति ने आर्शिया एफटीडब्ल्यूजेड के 66 गैर-अनुपालनकारी इकाई धारकों से संबंधित मामले पर विचार किया, जिनके अनुमोदन पत्र (एलओए) की वैधता समाप्त/समाप्तप्राय हो चुकी है तथा जिन्होंने न तो अपने अनुमोदन पत्रों का नवीनीकरण/नियमितीकरण कराया है और न ही विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) योजना के अंतर्गत निर्धारित निकास संबंधी औपचारिकताएँ पूर्ण की हैं। 1. समिति ने सह-विकासकर्ताओं, मेसर्स एसेन्डास पनवेल एफटीडब्ल्यूजेड प्राइवेट लिमिटेड एवं मेसर्स एनॉमलस इंफ्रा द्वारा दिनांक 28.08.2026 को ई-मेल के माध्यम से प्रस्तुत लिखित अभ्यावेदन को भी अभिलेख पर लिया। उक्त अभ्यावेदन में बताया गया है कि 66 इकाइयों में से 56 इकाइयों की एसईजेड परिसर में कोई भौतिक उपस्थिति नहीं है तथा दिनांक 01.08.2024 से उनके पास कोई निश्चित स्थान, पंजीकृत लीज डीड, वाणिज्यिक करार, माल-सूची अथवा परिसर में कोई लेन-देन नहीं है। शेष 10 निष्क्रिय इकाइयों के संबंध में बताया गया है कि 3 इकाइयों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) पहले ही जारी किए जा चुके हैं, जबकि शेष 7 इकाइयों के संबंध में बकाया देयताएँ एवं/या परिसर में माल-सूची उपलब्ध है तथा उक्त देयताओं के निपटान एवं माल-सूची हटाए जाने के उपरांत एनओसी जारी किए जाएंगे।		**Decision:** The Committee considered the matter relating to the 66 non-compliant Unit Holders of Arshiya FTWZ, whose Letters of Approval (LoAs) have lapsed/expired and/or who have neither renewed/regularised their LoAs nor completed the prescribed exit formalities under the SEZ Scheme. 1. The Committee also took on record the written submissions through email dated 28.08.2026 received from the Co-developers, M/s Ascendas Panvel FTWZ Pvt. Ltd. and M/s Anomalous Infra, wherein it has been stated that, out of the 66 Units, 56 Units have no physical presence in the FTWZ, with no fixed space, registered lease deed, commercial agreement, inventory or transactions in the premises since 01.08.2024. In respect of the remaining 10 inactive Units, it has been stated that NOCs have already been issued to 3 Units, while the remaining 7 Units have outstanding dues and/or inventory in the premises and that NOCs would be issued upon clearance of such dues and removal of inventory. 2. During the deliberations, Shri Peeyush Pandey,

2. विचार-विमर्श के दौरान आर्शिया एफटीडब्ल्यूजेड के समाधान पेशेवर दल की ओर से, जो वर्तमान में राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष कार्यवाही के अधीन है, उपस्थित नोडल अधिकारी, श्री पीयूष पांडे ने प्रस्तुत किया कि कुछ डिफॉल्टर इकाइयों के संबंध में किराया, लीज किराया एवं/या अन्य संविदात्मक/वाणिज्यिक देयताएँ बकाया हो सकती हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि इस मामले में कोई अंतिम निर्णय लेने से पूर्व अगली इकाई अनुमोदन समिति की बैठक तक का समय प्रदान किया जाए, ताकि संबंधित हितधारकों को ऐसी देयताओं की स्थिति का पता लगाने तथा उनका समाधान करने का अवसर मिल सके।

3. समिति ने सह-विकासकर्ताओं तथा श्री पीयूष पांडे द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों पर विचार किया और यह अवलोकन किया कि किसी इकाई धारक एवं विकासकर्ता/सह-विकासकर्ता के मध्य किराया, लीज किराया, माल-सूची से संबंधित दावे अथवा अन्य संविदात्मक/वाणिज्यिक देयताओं का अस्तित्व अथवा अनस्तित्व, दोनों पक्षों के मध्य विद्यमान पारस्परिक संविदात्मक संबंधों से उत्पन्न होने वाला विषय है। ऐसे दावे विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के अंतर्गत सरकार को देय वैधानिक देयताओं से भिन्न हैं।

4. मामले पर विचार करने तथा लागू वैधानिक प्रावधानों के अवलोकन के पश्चात समिति ने निम्नलिखित अभिमत व्यक्त किया :—

I. विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 19(5) में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि जहाँ कोई इकाई निर्धारित अथवा विस्तारित वैधता अवधि के भीतर उत्पादन अथवा सेवा संबंधी गतिविधि प्रारंभ नहीं करती है, वहाँ उसके अनुमोदन पत्र की वैधता समाप्ति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जाएगी। अतः जहाँ नियम 19(5) की शर्तें पूर्ण होती हैं, वहाँ अनुमोदन पत्र को समाप्त करने हेतु पृथक रूप से निरस्तीकरण आदेश पारित किया जाना आवश्यक नहीं है, क्योंकि उसकी वैधता विधि के प्रावधानों के परिणामस्वरूप स्वतः समाप्त हो जाती है।

II. समिति ने आगे अवलोकन किया कि इकाई धारक एवं

Nodal Officer, AL FTWZ-SEZ, appearing on behalf of the Resolution Professional Team of Arshiya FTWZ, presently under proceedings before the NCLT, submitted that certain rental, lease rental and/or other contractual/commercial dues may be outstanding in respect of some of the defaulting Units. He requested that time up to the next meeting of the UAC may be granted before taking any final decision in the matter, so as to enable the concerned stakeholders to ascertain/resolve the position regarding such dues.

3. The Committee considered the submissions made by the Co-developers and Shri Peeyush Pandey and observed that the existence or otherwise of rent, lease rentals, inventory-related claims or other contractual/commercial dues between a Unit Holder and the Developer/Co-developer is a matter arising from their inter-se contractual relationship. Such claims are distinct from statutory dues payable to the Government under the SEZ Act, 2005 and the SEZ Rules, 2006.

4.Upon consideration of the matter and the applicable statutory provisions, the Committee observed that:

I. Rule 19(5) of the SEZ Rules, 2006 expressly provides that where a Unit has not commenced production or service activity within the prescribed/extended validity period, its LoA shall be deemed to have lapsed with effect from the date of expiry of its validity. Accordingly, where the conditions of Rule 19(5) are satisfied, no separate order of cancellation is required merely to bring the LoA to an end, as the lapse follows by operation of law.

II. The Committee further observed that any rent, lease rental, inventory, commercial dues or other

विकासकर्ता/सह-विकासकर्ता के मध्य उत्पन्न होने वाले किराया, लीज किराया, माल-सूची, वाणिज्यिक देयताओं अथवा अन्य दावों के संबंध में विषय दोनों पक्षों के मध्य पारस्परिक संविदात्मक संबंधों द्वारा विनियमित होंगे। मात्र उनके अस्तित्व के आधार पर ऐसे दावे विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम/नियमों के अंतर्गत वैधानिक देयताएँ नहीं माने जा सकते और उन्हें वैधानिक निकास/डिबॉन्डिंग प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु पूर्व-शर्त नहीं बनाया जा सकता। तथापि, **सरकार को देय किसी भी वैधानिक देयता की जाँच एवं वसूली/समायोजन** सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।

III. तदनुसार, समिति ने स्पष्ट किया कि विकासकर्ता/सह-विकासकर्ता को किसी भी संविदात्मक अथवा वाणिज्यिक देयता की वसूली करने तथा विधि के अंतर्गत उपलब्ध अन्य उपायों का प्रयोग करने का अधिकार होगा और वह इसके लिए उपयुक्त सक्षम प्राधिकारी/मंच के समक्ष कार्यवाही कर सकता है। तथापि, ऐसी निजी संविदात्मक/वाणिज्यिक देयताओं का लंबित होना, अपने आप में, विकास आयुक्त/एसईजेड प्राधिकारियों द्वारा की जाने वाली वैधानिक कार्रवाई में बाधक नहीं होगा।

I V . **समिति ने, अतः, निर्दिष्ट अधिकारी, आर्शिया एफटीडब्ल्यूजेड को निर्देशित किया कि प्रत्येक इकाई के संबंध में पृथक-पृथक यह सत्यापित कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए कि कोई वैधानिक/सीमा शुल्क शुल्क, कर अथवा अन्य सरकारी देयता बकाया है या नहीं अथवा एसईजेड योजना के अंतर्गत प्राप्त किसी लाभ का समायोजन किया जाना अपेक्षित है या नहीं। साथ ही, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के अनुसार निर्धारित निकास संबंधी औपचारिकताएँ पूर्ण की जाएँ।**

जहाँ किसी इकाई के संबंध में कोई वैधानिक देयता लंबित न हो तथा लागू निकास संबंधी अन्य आवश्यकताएँ पूर्ण हों, वहाँ निर्धारित अनापत्ति/नो ड्यूज प्रमाण-पत्र जारी कर निकास/डिबॉन्डिंग प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण की जाए तथा **तत्पश्चात विशेष आर्थिक क्षेत्र विधि के अंतर्गत,** यथाप्रयोज्य, निकास आदेश जारी किया जाए/अनुमोदन पत्र निरस्त किया जाए।

V. समिति ने आगे निर्देशित किया कि जिन इकाइयों के

claims arising between the Unit Holder and the Developer/Co-developer are matters governed by the inter-se contractual relationship between the parties. Such claims do not constitute statutory dues under the SEZ Act/Rules merely by reason of their existence and cannot be made a pre-condition for completion of the statutory exit/de-bonding process, **subject, however, to verification and recovery of any statutory dues payable to the Government.**

III. Accordingly, the Committee clarified that the Developer/Co-developer is at liberty to pursue recovery of any contractual or commercial dues, and exercise such other remedies as may be available in law, before the appropriate competent authority/forum, but the pendency of such private claims shall not, by itself, operate as a bar to statutory action by the Development Commissioner/SEZ authorities.

I V . **The Committee, therefore, directed the Specified Officer, Arshiya FTWZ, to verify and report, Unit-wise, whether any statutory/customs duty, tax or other Government dues or benefits availed under the SEZ Scheme are outstanding/require adjustment, and to complete the prescribed exit formalities in accordance with the SEZ Act, 2005 and the SEZ Rules, 2006.** In cases where no statutory dues are pending and the applicable exit requirements are otherwise fulfilled, the prescribed No Dues Certificate may be issued and the exit/de-bonding process may be completed expeditiously, followed by issuance of the Exit Order/cancellation of LoA, **as applicable under SEZ law.**

V. The Committee further directed that, in respect of the Units where statutory dues or other statutory impediments are found, the matter shall be dealt with strictly in accordance with the

संबंध में कोई वैधानिक देयता अथवा अन्य वैधानिक बाधा पाई जाती है, उनके मामलों का निस्तारण विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005, विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 तथा अन्य लागू प्रासंगिक विधियों के प्रावधानों के अनुसार ही किया जाए। VI. समिति ने निर्दिष्ट अधिकारी को यह भी निर्देशित किया कि उन 18 इकाइयों के संबंध में पृथक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, जिन्होंने न तो अपने अनुमोदन पत्रों का नवीनीकरण/नियमितीकरण कराया है और न ही निकास हेतु अपनी इच्छा/सहमति प्रस्तुत की है, ताकि विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत आगे की कार्रवाई हेतु मामले पर विचार किया जा सके। VII. उपर्युक्त निर्णय विकासकर्ता/सह-विकासकर्ता तथा संबंधित इकाई धारकों के उन अधिकारों एवं विधिक उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना लिया गया है, जो उनके पारस्परिक संविदात्मक/वाणिज्यिक दावों के संबंध में उपलब्ध हैं। ऐसे दावों को संबंधित पक्ष विधि के अनुसार स्वतंत्र रूप से सक्षम प्राधिकारी/मंच के समक्ष प्रस्तुत एवं प्रवर्तित कर सकते हैं।		applicable provisions of the SEZ Act, 2005, SEZ Rules, 2006 and other relevant laws VI. The Committee also directed the Specified Officer to submit a separate status report in respect of the 18 Units which have neither renewed/regularised their LoAs nor submitted their willingness to exit, for consideration of further action under SEZ Act 2005 and rules made thereunder. VII. The above decision is without prejudice to the rights and remedies of the Developer/Co-developer and the concerned Unit Holders in respect of their inter-se contractual/commercial claims, which may be pursued independently in accordance with law.
<u>कार्यसूची मद सं. 03 : वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक के निष्पादन की निगरानी – मेसर्स श्रीकरम प्रीसिएंस प्राइवेट लिमिटेड</u> **सीप्ज़/न्यूसेज़/अर्शिया-रायगढ़/12/एलओए-<u>31/2010-11</u>/12181, दिनांक 08.02.2011**		<u>Agenda Item No. 03</u>: Monitoring of the performance for the F.Y. 2020-21 to F.Y.2024-25 - <u>M/s. Srikaram Prescience Private Limited</u> SEEPZ/NEWSEZ/Arshiya-Raigad/12/LOA-31/2010-11/12181, Dated 08.02.2011
<u>निर्णय</u> : सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत समिति ने विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 54 के प्रावधानों के अंतर्गत आर्शिया एसईजेड में स्थित मेसर्स श्रीकरम प्रिसाइंस प्राइवेट लिमिटेड के निष्पादन/कार्य-निष्पादन पर विचार किया। बैठक के दौरान इकाई के प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि निर्यात से प्राप्त आय की वसूली विधिवत विदेशी मुद्रा में		**Decision :** After due deliberation, the Committee **noted** the performance of M/s. Srikaram Prescience Private Limited, located at Arshiya SEZ, in terms of Rule 54 of the SEZ Rules, 2006. During the meeting, the representative of the unit submitted that the export proceeds are being duly realised in foreign currency and expressed confidence that the performance of the unit would improve during the ensuing period. It

की जा रही है तथा इकाई के आगामी अवधि में कार्य-निष्पादन में सुधार होने की पूर्ण संभावना है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि विगत अवधि के दौरान विकासकर्ता/सह-विकासकर्ता के मध्य उत्पन्न विवादों के कारण इकाई को कुछ परिचालन संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप इकाई के कार्यकलाप एवं व्यावसायिक संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इकाई के कार्य-निष्पादन, उसके प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन तथा निर्दिष्ट अधिकारी, आर्शिया एफटीडब्ल्यूजेड द्वारा प्रस्तुत एपीआर सत्यापन रिपोर्ट पर विचार करने के उपरांत समिति ने इकाई द्वारा अर्जित सकारात्मक एनएफई का संज्ञान लिया। तथापि, समिति ने निम्नलिखित टिप्पणियाँ/निर्देश भी दिए :— 1. निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा अगली यूएसी बैठक से पूर्व इकाई द्वारा अर्जित संचयी एनएफई का विगत पाँच वर्षों का वर्षवार/ब्लॉकवार विवरण प्रस्तुत किया जाए तथा उक्त रिपोर्ट में वास्तविक आयात एवं निर्यात के आँकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाए जाएँ। उक्त रिपोर्ट विकास आयुक्त कार्यालय को प्रस्तुत की जाए। इसके अतिरिक्त, निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक के एपीआर प्रस्तुत करने में, यदि कोई विलंब हुआ हो, तो उसके कारणों की भी जाँच कर स्पष्ट रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। 2. एफटीडब्ल्यूजेड से ईओयू को की गई आपूर्तियों से संबंधित पुनः-भंडारण (री-वेयरहाउसिंग) मामलों की जाँच में अनियमितता/विलंब से संबंधित सीआरए ऑडिट पैरा एएम क्रमांक 02 दिनांक 28.08.2019 अभी लंबित है। इस कार्यालय द्वारा दिनांक 18.08.2025 के पत्र के माध्यम से निर्दिष्ट अधिकारी, आर्शिया एफटीडब्ल्यूजेड से मांगी गई टिप्पणियाँ/उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः उक्त टिप्पणियाँ/उत्तर शीघ्रातिशीघ्र विकास आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराए जाएँ, ताकि ऑडिट पैरा के उचित निस्तारण हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा सके।		was further submitted that the unit had faced certain operational impediments during the preceding period on account of disputes between the Developer/Co-Developer, which adversely affected the functioning and business operations of the unit. Upon consideration of the performance of the unit, the submissions made by its representative, and the APR verification report submitted by the Specified Officer, Arshiya FTWZ, the Committee took note of the positive NFE achieved by the unit. However, the Committee further made the following observations: 1. The Specified Officer shall submit a five-year, block-wise report of the cumulative NFE achieved by the unit (clearly indicating actual imports and exports figures in report) before the next UAC meeting, to DC office. The Specified Officer shall also examine and report the reasons for delay, if any, in the submission of APRs for the financial years 2020-21 to 2024-25. 2. CRA Audit Para AM No. 02 dated 28.08.2019, relating to non/delayed scrutiny of re-warehousing cases pertaining to FTWZ supplies to EOUs, is pending. The comments/reply of the Specified Officer, Arshiya FTWZ, sought by this office vide letter dated 18.08.2025, are still awaited. The same may be furnished expeditiously to DC office for appropriate disposal of the Audit Para.
बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ संपन्न हुई।		Meeting concluded with a vote of thanks to the Chair.

Digitally Signed By
Shri. Dnyaneshwar B Patil
Date: 21-09-2026
Time: 09:45:43

Shri. Dnyaneshwar B Patil
Development Commissioner
SEEPZ- SEZ